सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 19, गुरूवार, *शाके* 1946-मई 09, 2024 *Vaisakha 19, Thursday , Saka 1946- May 09, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 09, 2024

संख्या प.6(9)परि/रेलवे/मु./2012/7387:-अधिसूचना संख्या प.6(1)परि/2011/16124 दिनांक 20.08.2015 केन्द्रीय सरकार रेलवे प्रशासन को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सादुलपुर-हनुमानगढ बाई पास लाइन के कार्यो हेतु चक 3 केएनजे तहसील जिला हनुमानगढ़ (राज.) में स्थित खाता संख्या 36/7, 30/28, 129/81, 92/79, 165/93, 1166/80, 250, 188, 128/113, 128, 137/134, 234/145, 163/159, 228/224, 53/47,186/179, 81/74, 68/70 की 3.13 हैक्टेयर निजी भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधो के अनुसार अधिसूचित की गई थी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरतपुरा-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन परियोजना के अन्तर्गत ''हनुमानगढ़ जंक्शन पर बाई पास लाइन का निर्माण करना'' को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके उपरांत इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत किया जाना है। उक्त भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2024 को भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

अत: सादुलपुर-हनुमानगढ बाई पास लाइन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 20.08.2015 को एतद् द्वारा प्रत्याहुत किया जाता है।

गोपाल सिंह,
संयुक्त शासन सचिव,
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।